न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 07 / 2024

1 मन्जू पत्नी जगदीश शर्मा पुत्री हनुमान जाति ब्राह्मण निवासी औजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रणजीत पुत्र बीरबल जाति जाट निवासीगण भौमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 अनिता पत्नी स्व. संजय
3 अभय पुत्र स्व. संजय
4 खुशी पुत्री स्व. संजय जातिगण ब्राह्मण निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 कृष्णा पुत्री हनुमान पत्नी लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी पुरोहितों की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
6 गीता देवी पत्नी हनुमान
7 सुशील कुमार पुत्र हनुमान जातिगण ब्राह्मण निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
8 बबीता पुत्री हनुमान पत्नी श्री किशन जाति ब्राह्मण निवास पुरोहितों की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
9 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
खिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी
रणजीत बनाम अनिता मु.नं. 15 / 2023 तारीख फैसला 10.11.2023
अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :
1. श्री विनोद डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद सिंह भाम्बू, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2023 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 313, 310, 314, 319, 324 वाके ग्राम भोमपुरा व खसरा नम्बर 53, 617, 429/618, 12/443 वाके ग्राम लाम्बा गोठड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण के ट्रायल में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय जैर बहस पारित किया है, क्योंकि प्रकरण में पक्षकारान (अनावेदकगण) को तामील रजिस्टर्ड डाक से सर्वप्रथम करवाना एक अवैधानिकता है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के मुताबिक सर्वप्रथम तामील तहसील कार्यालय के अधिकृत तामिल कुनिन्दा से करवाई जानी चाहिए थी। यदि विचारण न्यायालय तहसील चिड़ावा के अधिकृत तामील कुनिन्दा से तामील करवाती तो तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलान्ट व अन्य पक्षकारान के रिहायश स स्थाई पते की वास्तविक रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकट होती। इस प्रकार सर्वप्रथम ही रजिस्टर्ड डाक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर * झुंझुनूं

से पक्षकारान को तामील करवाया जाना और उक्त तामील को सही सूचना मिलने का आधार मानकर एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 10.10.2023 को जारी किया एक अवैधानिकता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह बखूबी साबित है कि विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 617 में से रास्ता 251 ए के तहत अपनी जमीन खसरा नम्बर 313 मौजा भौमपुरा में जाने हेतु रास्ता क्लेम किया है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत तक किसी खातेदार की कृषि भूमि में से रास्ता प्रस्तावित होने की सूरत में गिरदावर हल्का द्वारा कथित प्रस्तावित रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट खातेदार की मौजूदगी में तैयार की जानी आवश्यक है। उक्त प्रकरण में तथाकथित रास्ते अपीलान्ट व जमीन खसरा नम्बर 617 बाबत जो रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, उसे देखने से ही स्पष्ट होता है कि उक्त रिपोर्ट बिना मौके पर गये बाला–बाला रूप से तैयार की गई है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के साथ साज कर रेस्पोडेन्ट ने कथित रिपोर्ट दिनांकित 10.10.2023 तैयार की है। अपीलान्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 617 बाबत अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को सूचना दिये बिना तैयार की गई रिपोर्ट से अपीलान्ट पाबंद नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने साजिशी व दूषित रिपोर्ट कर आदेश पातिर कर बड़ी भारी कानूनी भूल की है। राजस्व रिकार्ड से यह बखूबी साबित है कि जमीन खसरा नम्बर 313 मौजा भोमपुरा तहत तहसील लाम्बा गोठड़ा में रेस्पोडेन्ट का केवल 1/4 हक हिस्सा है, लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जानबूझकर जमीन खसरा नम्बर 313 मौजा भोमपुरा के शेष सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जो आवश्यक पक्षकार थे। कानून से पक्षकारों के संयोजन के बिना उनकी गैर मौजूदगी में किया गया निर्णय दूषित होता है, ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय का निर्णय जैर बहस दिनांक 10.11.2023 दूषित होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा राजस्व ग्राम भौमपुरा में स्थित खसरा नम्बर 313 में रास्ता चाहा गया है, जो ग्राम लाम्बा गोठड़ा में स्थित अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 617 में क्लेम किया गया है। लाम्बा गोठड़ा व भौमपुरा दो अलग–अलग गांव है। विचारण न्यायालय को ग्राम भौमपुरा से भी रास्ते की उपलब्धता की रिपोर्ट पत्रावली पर मंगवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जानी चाहिये। किन्तु ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने बहुत बड़ी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास उक्त भूमि में आने–जाने हेतु ग्राम भौमपुरा में ही रास्ता उपलब्ध है। अगर अपीलान्ट को प्रकरण में सुनवाई का अवसर मिलता तो अपीलान्ट साबित करती। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रणजीत द्वारा अप्रार्थीगण अनिता, अभय, कृष्णा, खुशी, गीता, कविता, मन्जु व सुशील के विरूद्ध धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 8 स्वयं उपस्थित हुआ है। शेष अप्रार्थीगण की बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार ग्राम भोमपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 313 रकबा 0.80 हैक्टेयर की खातेदारी रणजीत पुत्र बीरबल वगै. जाति जाट निवासी भोमपुरा दर्ज रिकार्ड है। जिसमें रणजीत पुत्र बीरबल का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें रणजीत ने पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। इस खसरें में आने–जाने के लिए कोई कटानी रास्ता कटा हुआ नहीं है। इस खसरें में आने–जाने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया राजस्व ग्राम लाम्बा गोठड़ा के खेत खसरा नम्बर 617 रकबा 1. 42 हैक्टेयर जिसकी खातेदारी अनिता पत्नी स्व. संजय व सुशील कुमार पुत्र हनुमान वगै. जाति ब्राह्मण निवासी लाम्बा गोठड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 617 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे पश्चिम से उत्तर पूर्व ए से बी 60 मीटर व बी से सी 80 मीटर कुल 140 मीटर दुरी लगती ह। किन्तु श्रीमान जी खसरा नम्बर 617 के पश्चिम में खसरा नम्बर 943/615 रकबा 0.01 हैक्टेयर रास्ता कटा हुआ है। जो केवल खसरा नम्बर 940/612 तक कटा हुआ है। जिसकी खातेदारी भी धमेन्द्र पुत्र लालचन्द वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा खसरा नम्बर 617 की पश्चिम सीमा के सहारे दक्षिण की ओर प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 616, 620, 1040/620, 1039/620 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे दक्षिण की ओर जोहड़ तक लगता है। जिसके खसरा नम्बर 700 रकबा 17.78

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

हैक्टेयर है। राजस्व ग्राम भोमपुरा के खसरा नम्बर 329 रकबा जिसकी खसरा नम्बर 313 से दूरी खसरा नम्बर 317, 318, 319, 427/320, 320 से 470 मीटर लगती है। अतः खसरा नम्बर 313 से सबसे कम दूरी पर खसरा नम्बर 617 की सीमा लगती है। खसरा नम्बर 617 की पश्चिम से पूर्व सीमा के सहारे–सहारे 140 x 4 = 560 वर्ग मीटर दूरी लगती है। खसरा नम्बर 617 की पश्चिम से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिलवाया जाना उचित है। इस मौका रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचाराधीन निर्णय को केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 7 ने चुनौती दी है। शेष अप्रार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रणजीत द्वारा अप्रार्थीगण अनिता, अभय, कृष्णा, खुशी, गीता, कविता, मन्जु व सुशील के विरूद्ध धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 8 स्वयं उपस्थित हुआ है। शेष अप्रार्थीगण की बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार ग्राम भोमपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 313 रकबा 0.80 हैक्टेयर की खातेदारी रणजीत पुत्र बीरबल वगै. जाति जाट निवासी भोमपुरा दर्ज रिकार्ड है। जिसमें रणजीत पुत्र बीरबल का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें रणजीत ने पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। इस खसरें में आने–जाने के लिए कोई कटानी रास्ता कटा हुआ नहीं है। इस खसरें में आने–जाने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया राजस्व ग्राम लाम्बा गोठड़ा के खेत खसरा नम्बर 617 रकबा 1.42 हैक्टेयर जिसकी खातेदारी अनिता पत्नी स्व. संजय व सुशील कुमार पुत्र हनुमान वगै. जाति ब्राह्मण निवासी लाम्बा गोठड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 617 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे पश्चिम से उत्तर पूर्व ए से बी 60 मीटर व बी से सी 80 मीटर कुल 140 मीटर दुरी लगती ह। किन्तु श्रीमान जी खसरा नम्बर 617 के पश्चिम में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

खसरा नम्बर 943/615 रकबा 0.01 हैक्टेयर रास्ता कटा हुआ है। जो केवल खसरा नम्बर 940/612 तक कटा हुआ है। जिसकी खातेदारी भी धमेन्द्र पुत्र लालचन्द वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा खसरा नम्बर 617 की पश्चिम सीमा के सहारे दक्षिण की ओर प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 616, 620, 1040/620, 1039/620 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे दक्षिण की ओर जोहड़ तक लगता है। जिसके खसरा नम्बर 700 रकबा 17.78 हैक्टेयर है। राजस्व ग्राम भोमपुरा के खसरा नम्बर 329 रकबा जिसकी खसरा नम्बर 313 से दूरी खसरा नम्बर 317, 318, 319, 427/320, 320 से 470 मीटर लगती है। अतः खसरा नम्बर 313 से सबसे कम दूरी पर खसरा नम्बर 617 की सीमा लगती है। खसरा नम्बर 617 की पश्चिम से पूर्व सीमा के सहारे–सहारे 140 x 4 = 560 वर्ग मीटर दूरी लगती है। खसरा नम्बर 617 की पश्चिम से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिलवाया जाना उचित है। इस मौका रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचाराधीन निर्णय को केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 7 ने चुनौती दी है। शेष अप्रार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर